



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19025 सन् 2025

शिव सागर चौबे

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : लवलेश कुमार शुक्ला
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लवलेश कुमार शुक्ला और राज्य उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय के साथ-साथ उत्तरदाता संख्या 3 के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह को सुना।
2. उत्तरदाता संख्या 3 की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी मिथवाल जिला सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 24.02.2026 को सशपथ किया हुआ एक प्रति शपथपत्र दायर किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है, इस प्रकार, पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब वह 14.01.2021 से बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक/श्रेणी-III कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, तो उसे 24.11.2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा इस आरोप पर निलंबित कर दिया गया था कि दो संस्थानों, एक कल्या देवी माधव प्रसाद कन्या जूनियर हाई स्कूल, गढ़मेर पोस्ट मेथवाल सिकारी बाजार, विकास खंड लोटन, सिद्धार्थनगर और एक अन्य बाल गोविंद पाण्डेय बाल अकादमी, पनानी पोस्ट सिकारी, विकास खंड, लोटन, जिला सिद्धार्थनगर ने बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता के लिए आवेदन किया था। निलंबन आदेश में आरोप है कि उक्त संस्थानों के विरुद्ध प्रतिकूल आख्या होने और उस संबंध की कोई सिफारिश न होने के बावजूद, याचिकाकर्ता, जो एक कनिष्ठ लिपिक (पटल सहायक) था, ने उक्त संस्थानों



और अन्य के साथ सांठगांठ की और अवैध मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया और शैलेश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, जो कि गांव सिस्वा बुजुर्ग, पोस्ट सेमरी खानकोट, जिला सिद्धार्थनगर के निवासी थे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा 23.05.2025 को एक समिति द्वारा जांच कराने का आदेश पारित किया गया और 15.09.2025 को आख्या प्रस्तुत करने के बाद, यह पाया गया कि उक्त दोनों संस्थान खराब बुनियादी ढांचे और विनिर्देशों को पूरा करने में विफल रहने के कारण मान्यता दिए जाने के हकदार नहीं थे। और इस प्रकार याचिकाकर्ता को कदाचार करने का दोषी पाया गया और उसे निलंबित कर दिया गया।

4. बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा पारित दिनांक 24.11.2025 के निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

5. इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए 11.02.2026 को रिट याचिका पर विचार किया:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता एक कनिष्ठ लिपिक है और मान्यता की मंजूरी चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, लागू मॉड्यूल के अनुसार, उक्त कार्य एक विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाना होता है, न कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निलंबन आदेश ऐसे आधार पर पारित किया गया है जिसकी विधि की नजर में कोई विधिक वैधता नहीं है।

3. श्री अशोक सिंह से पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न पर कि यह आरोप किस आधार पर है कि रिट याचिकाकर्ता ने अभिलेख को गढ़ा है, इसके लिए वह स्थगन की मांग करते हैं।

4. मामले को 17.2.2026 को दोपहर 2 बजे अतिरिक्त कार्य सूची में रखें।

5. आज दायर किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।"

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि संस्था की मान्यता के लिए अनुमोदन प्रदान करना याचिकाकर्ता का कार्य या अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता केवल एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है जो जूनियर क्लर्क (पटल सहायक) है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26.09.2023 का एक शासनादेश है जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल स्तर पर संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए तौर-तरीकों का प्रावधान करता है। तर्क यह है कि 26.09.2023 के शासनादेश का खंड- III तौर-तरीकों और समय सारिणी का प्रावधान करता है जिसके अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है, और याचिकाकर्ता के अनुसार, आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है। विवाद यह है कि मान्यता प्राप्त करने वाले संबंधित संस्थान द्वारा भरे गए आवेदन को शैक्षणिक वर्ष के 1 अप्रैल से 31 दिसंबर की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना है। बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तीन दिनों की अवधि के भीतर आवेदन की जांच करेगा, और खंड शिक्षा अधिकारी भौतिक निरीक्षण करेगा और दस दिनों के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा और दिनांक 26.09.2023 के शासनादेश के अनुसार गठित समिति की बैठक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को बुलाई जायेगी। और यदि यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदनों और दस्तावेजों में कुछ आपत्तियां हैं, तो तीन दिनों के भीतर प्रबंधन के माध्यम से संस्थान को इससे सूचित किया जायेगा और उसके बाद, सात दिनों की अवधि के भीतर, आपत्तियों का जवाब तय किया जायेगा और आपत्तियाँ प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 5 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जायेगा, और अंतिम सूचना संस्था की प्रबंधन समिति को उसके पदाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि दिनांक 26.09.2023 के शासनादेश के खंड- III में संलग्न टिप्पणी भी उक्त पहलू पर प्रकाश डालती है, जिसके अनुसार, बैठक प्रत्येक शुक्रवार को बुलाई जायेगी, और एक बार मान्यता देने के लिए निर्णय लेने के बाद, उस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन जानकारी ली जायेगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, समिति का गठन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर, खंड शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर, प्रवक्ता डाइट बासी, सिद्धार्थनगर को शामिल करते हुए 07.09.2024 को किया गया था और जहाँ तक एक संस्थान, कल्पा देवी माधव प्रसाद कन्या जूनियर हाई स्कूल, गढ़मेर पोस्ट मेथवाल सिकारी बाजार, विकास खंड लोटन, सिद्धार्थनगर, का प्रश्न है, तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था, और तो और पृष्ठ 52 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, यह तर्क भी दिया गया है कि समिति के उपरोक्त तीन सदस्यों ने दिनांक 08.11.2024 की अपनी सिफारिशों में बाल गोविंद पाण्डेय बाल अकादमी, पनानी पोस्ट सिकारी, विकास खंड, लोटन, जिला सिद्धार्थनगर को भी मान्यता प्रदान की।

8. संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि निलंबन आदेश में, खंड विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर और खंड शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर की दो सदस्यीय समिति के गठन के बाद प्रस्तुत की गई

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15.09.2025 की तथ्यात्मक जांच आख्या का संदर्भ दिया गया है, लेकिन जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता, एक श्रेणी-III कर्मचारी होने के नाते, कहीं भी शामिल नहीं है, और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, और फाइलें केवल अनुमोदन प्राधिकारी को प्रेषित की जाती हैं, और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता पटल सहायक/जूनियर क्लर्क है, उसे उक्त आरोपों का दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया जा रहा है कि हो सकता है कि उक्त दो संस्थान मान्यता के हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता मान्यता देने या इसे अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आज तक, आरोप पत्र नहीं दिया गया है और याचिकाकर्ता 24.11.2025 से निलंबित है।

9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रस्तुत होने वाले श्री अशोक सिंह, जिन्होंने उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा दायर प्रति शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आदेश दिनांक 24.11.2025 पारित किया था, ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता, एक पटल सहायक/जूनियर क्लर्क होने के नाते, एक विधिक दायित्व के अधीन है और यह उसका बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेजों को पूरा करे। तर्क यह है कि यहां, याचिकाकर्ता ने पूरे दस्तावेजों को नहीं रखते हुए शरारती काम किया, जो मान्यता देने का आधार बन गया, यद्यपि उक्त दो संस्थानों को मान्यता नहीं दी गई थी, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को सही ढंग से निलंबित किया गया है, और उत्तरदाता संख्या 3 उस संबंध में आरोप पत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।

10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख को ध्यान से अवलोकित किया है।

11. तथ्य मुद्दे में नहीं हैं। यह इस मुद्दे में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के कार्यालय में एक जूनियर क्लर्क है, जिसे इस आरोप पर निलंबित कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने मिलीभगत की थी और याचिकाकर्ता के उक्त कृत्यों और चूक के कारण, दो संस्थान, अर्थात् कल्या देवी माधव प्रसाद कन्या जूनियर हाई स्कूल, गढ़मेर पोस्ट मेथवाल सिकारी बाजार, विकास खंड लोटन, सिद्धार्थनगर और बाल गोविंद पाण्डेय बाल अकादमी, पननी पोस्ट सिकारी, विकास खंड, लोटन, जिला सिद्धार्थनगर को मान्यता दी गई।

12. दिनांक 26.12.2023 का शासनादेश अभिलेख पर उपलब्ध है, जिस पर पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है जो जूनियर हाई स्कूलों आदि की मान्यता का प्रावधान करते हैं, जिसका खंड- III इस प्रकार है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"III-मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी:-

1) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबंधक / सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सह आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा मान्यता संबंधी आवेदन पत्रों का निस्तारण समय सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन ही किया जायेगा:-

(1) मान्यता हेतु आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन ही किया जायेगा-

1.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	01 अप्रैल से 31 दिसम्बर
2.	बी०एस०ए० द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण हेतु अग्रसारण।	आवेदन की तिथि से 03 कार्यदिवस में।
3.	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण व आख्या उपलब्ध कराने हेतु।	आवंटन की तिथि से 10 कार्यदिवस में।
4.	सिमित की बैठक प्रत्येक सप्ताह के शक्रवार को।	
5.	सिमित द्वारा किसी आपित्त की स्थिति में प्रबंधतंत्र को सूचित करने हेतु।	सिमित की बैठक के 03 कार्यदिवस में।
6.	प्रबंधतंत्र द्वारा आपित्त के निराकरण हेतु।	आपित्त प्राप्त होने के 07 दिवस में।
7.	सिमित द्वारा आवेदन पर अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु।	आपित्त का उत्तर प्राप्त होने पर 05 कार्यदिवस में।
8.	मान्यता प्रदान किये जाने अथवा नहीं किये जाने के प्रबंध में प्रबंधतंत्र को सूचना देने हेतु।	समिति के निर्णय की तिथि से 02 कार्यदिवस में।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(2) विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के फोटोग्राफ्स भी लिये जायेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जायेंगे।

नोट: मान्यता समिति की बैठकें प्रत्येक शुक्रवार को आहूत की जायेगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति द्वारा संस्तुति दी जायेगी, तत्पश्चात मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर अगली आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर, मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

13. उक्त नियमावली के खंड- III पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि अधिकारियों की समय अनुसूची निर्दिष्ट की जा रही है जिन्हें मान्यता देने या इसे अस्वीकार करने के लिए निर्णय लेना है। इसके अलावा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर, खांडा शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर और प्रवक्ता, डीआईटी, सिद्धार्थनगर की दिनांक 07.09.2024 की बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि कल्या देवी माधव प्रसाद कन्या जूनियर हाई स्कूल के संबंध में, उक्त तीन अधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था, संबंधित उद्धरण यहां उद्धृत किया गया है:

"जनपदीय मान्यता समिति की बैठक कार्यवृत्ति दिनांक 07.08.2024"

शासनादेश संख्या 64/अरसठ-3-2021-840/2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2024 के अपरान्ह 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	अध्यक्ष	ह.आ.
2	श्री राजेश कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी,	सदस्य सचिव	ह.आ.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



	मुख्यालय		
3	मोहम्मद यूनुस प्रवक्ता, डायट, बांसी, सिद्धार्थनगर	सदस्य	ह.आ.

समिति के अध्यक्ष द्वारा शासनादेश संख्या 64/अरसठ-3-2021-840/2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार कुल 15 आवेदन पर समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर शासनादेश में निहित मानको व्यवस्था को 06 विद्यालय पूर्ण करते हैं तथा 09 विद्यालय नहीं पूर्ण करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-

01	विद्या देवी पब्लिक स्कूल, ग्राम-अकरा, पोस्ट-शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर।	कक्षा-कक्ष के दीवाली पर प्लास्टर नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत नहीं है। बिल बाऊटर प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित नहीं है। खण्ड शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार खेल का मैदान शासनादेश में निहित मानक के अनुसार नहीं है। पुस्तकालय कक्ष एवं पुस्तक उपलब्ध नहीं है। विद्यालय में खेल-कूद सामग्री उपलब्ध नहीं है। कार्यालय एवं स्टॉफ हेतु का उपलब्ध नहीं है। प्र०अ० कक्ष में पार्टिशन करके कक्षाओं को संचालित किया जाता है। कक्षाओं में खिड़की एवं दरवाजे नहीं लगे हैं। बालक एवं बालिकाओं के पृथक-पृथक शौचालय व मूत्रालय नहीं है। विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। विद्यालय निरीक्षण के समय खण्ड शिक्षा अधिकारी का फोटो अपलोड नहीं है।
----	---	--

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



		नोट-संस्था द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु पोर्टल के अनुसार आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाना निर्धारित है। यदि संस्था द्वारा आपत्ति निवारित कर सही रूप से अपलोड नहीं कराये जाने की दशा में पोर्टल पर डाउनलोड प्रदर्शित नहीं होता है तो पोर्टल पर रिजेक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि निवारित आपत्ति डाउनलोड नहीं होता है तो आवेदन निस्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदार संस्था की होगी।
02.	ब्राइट सिटी मान्टेसरी स्कूल, ग्राम व पोस्ट महरिया, सिद्धार्थनगर।	मकान के कक्षा कक्ष के दीवाल पर प्लास्टर एवं फर्श नहीं है। कक्षाओं में खिड़की एवं दरवाजे नहीं लगे हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी अनुसार प्र०अ० के कक्ष का छत तीन सेड है। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण
	जगताराम, सिद्धार्थनगर।	
14.	कल्पा देवी माधव प्रसाद कन्या जू०हा०स्क०,	आपत्ति निवारित होने के फलस्वरूप अस्थाई

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



	गढ़मोर, पोस्ट-मथावल, सिकरी बाजार, सिद्धार्थनगर।	मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।
15.	अपेक्स एकेडमी मधुबेनिया चौक, सिद्धार्थनगर।	आपत्ति निवारित होने के फलस्वरूप अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।

सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश संख्या 64/अरसठ-3-2021-840/2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर के कक्षा 01 से 05 तक के 06 विद्यालय को अस्थाई मान्यता खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित मान्यता पोर्टल के माध्यम से जनपदीय मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली का परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त जनपदीय मान्यता समिति क्रमांक 10,11,12,13,14 एवं 15 पर अंकित विद्यालयों को अस्थाई मान्यता आदेश निर्गत करने के पूर्व एक बार पुनः भली-भांति प्रकरण का परीक्षण कर लें तथा संतुष्ट होने के पश्चात ही अस्थाई मान्यता आदेश निर्गत करें।"

14. अन्य संस्था के संबंध में, बाल गोविंद पांडे बाल अकादमी होने के नाते, 08.11.2024 को समिति (तीन सदस्यीय समिति की) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था, जो निम्नानुसार है:

"जनपदीय मान्यता समिति की बैठक कार्यवृत्ति दिनांक 08.11.2024

शासनादेश संख्या 64/अरसठ-3-2021-840/2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 5/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 08.11.2024 के परान्ह 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी / सदस्य पस्थित रहे।

01	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	अध्यक्ष	ह.आ.
02	श्री विन्देश्वरी प्रसाद खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय	सदस्य सचिव	ह.आ.
03	मोहम्मद यूनुस प्रवक्ता, डायट, बांसी, सिद्धार्थनगर	सदस्य	ह.आ.

समिति के अध्यक्ष द्वारा शासनादेश संख्या 64/अरसट-3-2021-840/2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार कुल 13 आवेदन पर समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर शासनादेश में निहित मानको व्यवस्था को 08 विद्यालय पूर्ण करते है तथा 05 विद्यालय नहीं पूर्ण करते है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

01	दारूल तौहीद जूनियर हाई स्कूल, मैना ईटागाह, पोस्ट-मैना, इटावा, सिद्धार्थनगर।	सोसाइटी की अवधि समाप्त हो गयी है। विद्यालय का मानबिन्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्मित अपलोड नहीं है। किरायानामा के कॉलम में भूकम्परोधी प्रमाण पत्र अपलोड है। विद्यालय की खतौनी स्पष्ट नहीं है। नोट-संस्था द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु पोर्टल के अनुसार आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाना निर्धारित है। यदि संस्था द्वारा आपत्ति निवारित कर सही रूप से अपलोड नहीं कराये जाने की दशा में पोर्टल पर डाउनलोड/प्रदर्शित नहीं होता है तो पोर्टल पर रिजेक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि निवारित आपत्ति
----	---	--

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



		बाउनलोड नहीं होता है तो आवेदन निरस्त के. अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदार संस्था की होगी।
02	आदर्श बाल विद्या मंदिर, नागचौरी, पोस्ट-कोल्हुई, खुनियांव, सिद्धार्थनगर।	आपत्ति निवारित होने के फलस्वरूप अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।
03	जे०के० ग्लोबल स्कूल, मझौवा, पोस्ट-खुनियांव, सिद्धार्थनगर।	न्यास में सभी सदस्यों का पहचान-पत्र नहीं है। किरायानामा में खेल-कूद के मैदान एवं कक्षा-कक्षों/ कक्षों के मानक की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मानचित्र में खेल कूद के मैदान का मानक शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप नहीं है। कक्षा-कक्ष के दीवाल पर प्लास्टर एवं कक्षा-कक्ष में फर्श नहीं बना है। कक्षा-कक्ष में पार्टिशन किया गया है जिसकी दिवाले छत तक नहीं किया है। खिड़की पर दरवाजे नहीं लगे हैं एवं बिल बाऊचर प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित नहीं है। प्रबन्धक, खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर से उपरोक्त कमियों को दूर कराते हुए निस्तारण आख्या एवं मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित अभिमत के साथ आख्या सहित सुसंगत साक्ष्य/अभिलेख पोर्टल पर रामयान्तर्गत अपलोड करना सुनिश्चित करें। नोट-संस्था द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु पोर्टल के अनुसार आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाना निर्धारित है। यदि संस्था द्वारा आपत्ति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



		निवारित कर सही रूप से अपलोड नहीं कराये जाने की दशा में पोर्टल पर डाउनलोड/प्रदर्शित नहीं होता
		प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित नहीं है। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या अनुसार 04 कक्षा-कक्षा शासनादेश में निहित मानक के अनुसार नहीं है। प्रबन्धक, खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर से उपरोक्त कमियों को दूर कराते हुए निस्तारण आख्या एवं मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित अभिमत के साथ आख्या सहित सुसंगत साक्ष्य / अभिलेख पोर्टल पर समयान्तर्गत अपलोड करना सुनिश्चित करें। नोट-संस्था द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु पोर्टल के अनुसार आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाना निर्धारित है। यदि संस्था द्वारा आपत्ति निवारित कर सही रूप से अपलोड नहीं कराये जाने की दशा में पोर्टल पर डाउनलोड/प्रदर्शित नहीं होता है तो पोर्टल पर रिजेक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि निवारित आपत्ति डाउनलोड नहीं होता है तो आवेदन निरस्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदार संस्था की होगी।
09	मदरसा अरबिया सल्फिया, पड़रूपुर, खेसरहा, सिद्धार्थनगर।	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के फलस्वरूप स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10	चाणक्यम् पब्लिक स्कूल, मंझरिया, खेसरहा, सिद्धार्थनगर।	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के फलस्वरूप स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।
11	एन०डी०एस०डी० पब्लिक स्कूल, गोनहाताल, बांसी, सिद्धार्थनगर।	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के फलस्वरूप, स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।
12	स्टार पब्लिक स्कूल, बर्डपुर नं०-1 अलीगढ़वा, पंचगवा, सिद्धार्थनगर.	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के फलस्वरूप स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।
13	बालगोविन्द पाण्डेय चिल्ड्रेन एकेडमी, पननी, पोस्ट- सिकरी, लोटन, सिद्धार्थनगर।	आपत्ति निवारित होने के फलस्वरूप अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति।

सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश संख्या 64/अरसठ-3-2021-840/2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर के कक्षा 01 से 05 तक के 04 विद्यालय को अस्थायी एवं 04 विद्यालय को स्थायी मान्यता खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित

मान्यता पोर्टल के माध्यम से जनपदीय मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त जनपदीय मान्यता समिति क्रमांक 02,05,09,13 एवं 04,10,11,12 पर अंकित विद्यालयों को अस्थायी / स्थायी मान्यता आदेश निर्गत करने के पूर्व एक बार पुनः भली-भांति प्रकरण का परीक्षण कर लें तथा संतुष्ट होने के पश्चात ही अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत करें।"

15. प्रथम दृष्टया, उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा प्रति शपथपत्र की पेपर बुक के अनुलग्नक-सीए-4 पृष्ठ 24 को देखने से पता चलता है कि 23.05.2025 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा समिति के गठन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के बाद, विकास खंड अधिकारी, सिद्धार्थनगर और खांडा शिक्षा अधिकारी की आख्या 15.09.2025 को प्रस्तुत की गई थी। सिद्धार्थनगर, यहां उद्धृत किया गया है:

"कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या: बेसिक / जाँच/870-72/2025-26 दिनांक 28.05.2025 द्वारा श्री शैलेश कुमार, ग्राम सिसवा बुजुर्ग, पोस्ट सेमरी खानकोट, सिद्धार्थनगर के शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2025 के क्रम में जांच आख्या:-

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या: बेसिक जाँच/870-72/2025-26 दिनांक 28.05.2025 द्वारा श्री शैलेश कुमार, ग्राम सिसवा बुजुर्ग, पोस्ट सेमरी खानकोट, सिद्धार्थनगर के शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2025 जो विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग 2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित तथा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ सहित अन्य उच्चाधिकारियों को पृष्ठांकित है, के माध्यम से जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड लोटन अंतर्गत कल्पा देवी माधव प्रसाद जू०हा० स्कूल सिकरी बाजार एवं बाल गोविन्द पाण्डेय चिल्ड्रेन एकेडमी, पननी, सिकरी बाजार की मान्यता सम्बन्धित विद्यालय का भवन मानक के अनुरूप न होने विषयक शिकायत की गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी लोटन / निरीक्षणकर्ता अधिकारी की आख्या को विलोपित करते हुए संस्था प्रबन्धक को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। मान्यता मानक पूर्ण नहीं करने वाले उक्त विद्यालयों की मान्यता आदेश जारी होने के पश्चात् प्रकरण की जांच कराये जाने की मांग तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी लोटन के पत्रांक-जांच/1300/दिनांक 14 मई 2025 द्वारा की गयी है।

उक्त के क्रम में जांच समिति द्वारा उपरोक्त दोनों विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उपरोक्त दोनों विद्यालयों की विद्यालयवार आख्या निम्नवत् है:-

01. कल्पा देवी माधव प्रसाद जू०हा० स्कूल सिकरी बाजार, विकास खण्ड लोटन:- निरीक्षण के समय विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक मौके पर उपस्थित पाये गये। शासनादेश दिनांक 26.09.2023 के बिन्दु 2 (1) (17) (क) में विद्यालय भवन हेतु निर्धारित मानकानुसार विद्यालय के पास क्रमशः कक्ष संख्या 01-22x21.4= 470.8 वर्ग फिट, कक्षा संख्या 02-21.2x25.2 534.24 वर्ग फिट, कक्षा संख्या 03-21x25.2= 529.2 वर्ग फिट, कक्षा संख्या 04-21x25.6= 537.6 वर्ग फिट एवं कक्षा संख्या 05-21x21.8= 457.8 वर्ग फिट के शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं। कक्ष संख्या 01 में प्लास्टर,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दरवाजे, खिड़की नहीं है तथा फर्श भी निर्मित नहीं है, कक्ष संख्या 02, 03, 04 एवं 05 में खिड़की में पल्ले नहीं लगे हैं। विद्यालय के प्रांगण में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के रूप में मात्र प्रधानाध्यापक कक्ष है जो $12.3 \times 10.5 = 129.15$ वर्ग फिट का है। प्रधानाध्यापक कक्ष शासनादेश के बिन्दु 2(1) (17) (क) में प्राविधानित मानकों के पूर्णतः विपरीत है तथा विद्यालय प्रांगण में स्टॉफ कक्ष उपलब्ध नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 01 वैकल्पिक कक्ष उपलब्ध है जो $20.4 \times 25.2 = 514.08$ वर्ग फिट का है परन्तु वैकल्पिक कक्ष में प्लास्टर नहीं है, फर्श नहीं बना है तथा दरवाजे, खिड़की पल्ले नहीं लगे हैं, जो अत्यन्त निराशाजनक है तथा उक्त स्थिति से छात्र-छात्राओं की सुरक्षा जोखिम में डाली गयी है।

शासनादेश दिनांक 26.09.2023 के बिन्दु 2(1) (17) (क) में विद्यालय भवन 30 फिट चौड़ी सड़क पर अवस्थित होने सम्बन्धी अनिवार्यता प्राविधानित की गयी है। कल्पा देवी माधव प्रसाद जूहा स्कूल सिकरी बाजार लगभग 12 फीट चौड़ी सड़क पर अवस्थित है जो शासनादेश के पूर्णतः विपरीत है।

विद्यालय के पास कक्षा 01 से 05 तक का संचालन किये जाने हेतु शासनादेश में प्राविधानित मानकों के अनुसार पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं परन्तु सभी कक्षा कक्षों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है तथा विद्यालय की आधारभूत संरचना के साथ भी समझौता किया गया है। विद्यालय के कक्षा-कक्षों में प्लास्टर नहीं है, फर्श निर्मित नहीं है तथा दरवाजे, खिड़की पल्ले नहीं लगे हैं जोकि विद्यालय संचालन हेतु मूलभूत सुविधाओं के पूर्णतः विपरीत है।

02. बाल गोविंद पाण्डेय चिल्ड्रेन एकेडमी, पननी, सिकरी बाजार, विकास खण्ड लोहना: निरीक्षण के समय विद्यालय के प्रबन्धक मौके पर उपस्थित पाये गये। शासनादेश दिनांक 26.09.2023 के बिन्दु 2 (1) (17) (क) में विद्यालय भवन हेतु निर्धारित मानकानुसार विद्यालय के पास क्रमशः कक्ष संख्या 01- $15.9 \times 12.3 = 195.57$ वर्ग फिट, कक्षा संख्या 02- $15.9 \times 12.3 = 195.57$ वर्ग फिट, कक्षा संख्या 03- $15.9 \times 12.3 = 195.57$, वर्ग फिट, कक्षा संख्या 04- $15.5 \times 13.8 = 213.9$ वर्ग फिट एवं कक्षा संख्या 05- $26.4 \times 11 = 290.4$ वर्ग फिट के शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं। कक्ष संख्या 01, 02, 03 एवं 04 में खिड़की में पल्ले नहीं लगे हैं तथा 02 कक्षा कक्षों में दरवाजे नहीं लगे हैं साथ ही कक्ष संख्या 05 में प्लास्टर, दरवाजे, खिड़की नहीं है तथा फर्श भी निर्मित नहीं है। विद्यालय के प्रांगण में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के रूप में प्रधानाध्यापक कक्ष है

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जो 18.8x09.10 171.08 वर्ग फिट का है तथा स्टॉफ कक्ष 17.10x10.2 = 174.42 वर्ग फिट का है परन्तु प्रधानाध्यापक कक्ष टीनशेड से निर्मित है तथा स्टॉफ कक्ष में प्लास्टर, दरवाजे, खिड़की नहीं है तथा फर्श भी निर्मित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 01 वैकल्पिक कक्ष उपलब्ध है जो 32.5x9= 292.5 वर्ग फिट का है परन्तु वैकल्पिक कक्ष प्रबन्धक द्वारा निजी, उपयोग में लाया जा रहा है तथा वहाँ घरेलू उपयोग में लाये जा रहे सामग्रीयाँ रखी पायी गयी तथा वैकल्पिक कक्षा कक्ष में परिवार निवास कर रहा है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक कक्षा कक्ष भी टीनशेड से निर्मित है, जो अत्यन्त निराशाजनक है तथा उक्त स्थिति से छात्र-छात्राओं की सुरक्षा जोखिम में डाली गयी है।

शासनादेश दिनांक 26.09.2023 के बिन्दु 2(1) (17) (क) में विद्यालय भवन 30 फिट चौड़ी सड़क पर अवस्थित होने सम्बन्धी अनिवार्यता प्राविधानित की गयी है।

विद्यालय के पास कक्षा 01 से 05 तक का संचालन किये जाने हेतु शासनादेश में प्राविधानित मानकों के अनुसार पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं परन्तु सभी कक्षा कक्षों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है तथा विद्यालय की आधारभूत संरचना के साथ भी समझौता किया गया है। विद्यालय के कक्षा-कक्षों में प्लास्टर नहीं है, फर्श निर्मित नहीं है तथा दरवाजे, खिड़की पल्ले नहीं लगे है तथा प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय भवन का निजी उपयोग किया जा रहा है, जोकि विद्यालय संचालन हेतु मूलभूत सुविधाओं के पूर्णतः विपरीत है।

उपरोक्त दोनों विद्यालयों की जाँचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों विद्यालय शासनादेश दिनांक 26.09.2023 में निहित प्राविधानों के विपरीत कक्षा-कक्ष निर्माण, 30 फीट चौड़ी सड़क पर अवस्थित नहीं होना, आधारभूत संरचना में लापरवाही तथा मूलभूत सुविधाओं में अनियमितता किया जाना प्रकाश में आया है।

अस्तु जांच में शिकायतकर्ता श्री शैलेश कुमार, ग्राम सिसवा बुजुर्ग, पोस्ट सेमरी खानकोट, सिद्धार्थनगर के शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2025 में बल पाया गया।
आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।"

17. उत्तरदाता संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार से पूछे जाने पर कि क्या दिनांक 15.09.2025 की आख्या में कुछ प्रतिकूल उल्लेख किया गया है, उत्तर नकारात्मक है।
18. बहरहाल, न्यायालय ने पाया कि प्रति-शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 5 में, निम्नलिखित पाया गया है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"5. रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की विषयवस्तु के जवाब में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 3 ने व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता शैलेश कुमार द्वारा दिनांक 23.05.2025 के शिकायत पत्र की मौके पर जांच की, और एक विस्तृत जांच आख्या दिनांक 07-07-2025, साक्ष्यों के साथ, उत्तरदाता संख्या 2 को भेजी थी। उक्त जांच में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतों को सही पाया गया। उत्तरदाता संख्या 2 और 3 ने शिकायत मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। नोटिस का संतोषजनक जवाब देने में याचिकाकर्ता की असमर्थता के कारण, उत्तरदाता संख्या 3 ने 24.11-2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में खंड शिक्षा अधिकारी, शोहरतगढ़ और खंड शिक्षा अधिकारी, बरहनी को जांच अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। निलंबन मामले की जांच जारी है। माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए शिकायतकर्ता शैलेश कुमार की शिकायत दिनांक 23.05.2025 की सच्ची प्रति और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर की दिनांक 07.07.2025 की जांच आख्या सामूहिक रूप से इसके साथ दायर की जा रही है और इस शपथपत्र में अनुलग्नक संख्या 2, और 3 के रूप में अंकित है।

19. तथ्य की बात के रूप में, न्यायालय ने पाया कि आज तक, याचिकाकर्ता को आरोप पत्र नहीं दिया गया है, यद्यपि, तीसरे उत्तरदाता के प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ -5 में, इतना दावा किया गया है कि निलंबन मामलों की जांच चल रही है, लेकिन यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि आरोप पत्र रिट याचिकाकर्ता को तार्किक किया गया था और जांच में कोई प्रगति हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि निलंबन मामलों में जांच की प्रकृति क्या है। प्रथम दृष्टया, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को निलंबन पर जारी रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता 24.11.2025 से निलंबित है और आज तक कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया है।

20. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:

(क) उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 24.11.2025 के आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) निलंबन आदेश को रद्द करने से उत्तरदातागण को आरोपपत्र जारी करने और याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच समाप्त करने से नहीं रोका जा सकेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ग) उत्तरदाता संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 16.03.2026 तक आरोप-पत्र दे दिया जाएगा।

(घ) याचिकाकर्ता 07.04.2026 तक अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।

(ङ) जांच 30.06.2026 तक पूरी हो जाएगी।

21. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री लवलेश कुमार शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल से प्राप्त निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा। इसलिए यह प्रावधान किया जाता है कि स्थगन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाएगा, जो लगातार पांच दिनों से अधिक नहीं होगा।

22. याचिकाकर्ता को निलंबन की तिथि, अर्थात् 24.11.2025 से लेकर इसे रद्द किए जाने तक निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है।

23. यह दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि यहां की गई कोई भी टिप्पणी योग्यता के आधार पर अभिव्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां तक निलंबन की चुनौती का संबंध है, वे अस्थायी हैं और अनुशासनात्मक अधिकारी विधि के अनुसार सख्ती से आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

24. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

फ़रवरी 25, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"